न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियां जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–168/2018

प्रार्थी:–

धनपतसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी भैरूसागर तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

–:: बनाम ::–

अप्रार्थी:–

तहसीलदार, ओसियां।

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थितिः–

1. श्री नेनूराम विश्नोई एडवोकेट प्रार्थी की और से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–30.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम भैरूसागर तहसील [ओ]सियां के खसरा नम्बर 553/2 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा 16 बिस्वांषी भूमि एवं मौजा हरीपुरा [के] खसरा नम्बर 216 रकबा 251.10 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम [ह]ी थी तथा प्रार्थी के पिता फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के भाईयों के साथ प्रार्थी का [ना]म लिछमणसिंह उर्फ लखसिंह दर्ज कर दिया गया। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम [धन]पतसिंह है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड इत्यादि [धन]पतसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम से बने हुए है तथा प्रार्थी के सरकारी सेवा के रिकार्ड में धनपतसिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज है तथा प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि का खसरा नम्बर [...]/3 व 548/2 ग्राम भैरूसागर में प्रार्थी का नाम धनपतसिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज है। [...]त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई, जो [स्व]माविक भूल के कारण हुई है, जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी [ने अ]पने प्रार्थना पत्र में आगे बताया कि राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर [सम]स्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य [क]ी बाबत तमाम कार्य रूके हुए पड़े है। अतः मौजा भैरूसागर के खसरा नम्बर 553/2 [रकब]ा 6.01.16 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 216 रकबा 251.10 बीघा [भूमि] मौजा हरीपुरा तहसील [ओसि]यां में प्रार्थी का नाम लक्ष्मणसिंह उर्फ लखसिंह पुत्र भोपालसिंह [दर्ज] कर रखा है, जो [...] है उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम धनपतसिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज किया [...]र राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश [...] राजस्व रेकर्ड में अमल [दरआम]द करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, ओसियां को नोटिस तलब किया गया, तहसीलदार, ओसियां ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत जांच कर

सहायक कमिश्नर, ...

Scanned by CamScanner

नी रिपोर्ट में बताया कि उक्त प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि ग्राम भैरूसागर में सरा नम्बर 553/2 रकबा 6.01.16 बीघा भूमि खातेदार लक्ष्मणसिंह उर्फ लखसिंह पि. पालसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार के नाम आई हुई है तथा ग्राम हरीपुरा में खसरा बर 216 रकबा 2512.10 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है। उप्क्त भूमि प्रार्थी के ता के नाम दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता फौत होने पर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के ाािइदयों साथ उक्त प्रार्थी का नाम लक्ष्मणसिंह उर्फ लखसिंह का नाम ग्राम भैरूसागर में तथा पुरा में लक्ष्मणसिंह पि. भोपालसिंह दर्ज किया गया है। उक्त प्रार्थी ने अपना वास्तविक नाम पतसिंह पुत्र भोपालसिंह होना बताया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तमाम दस्तावेज चान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि धनपतसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम से बने हुए है त प्रार्थी के सरकारी सेवामें होने से उनका सरकारी सेवामें भी धनपतसिंह पुत्र भोपालसिंह नाम दर्ज है। तहसीलदार, ओसियां ने अपने जवाब में आगे बताया कि उक्त प्रार्थी की व खातेदारी भूमियां खसरा नम्बर 589/3 व खसरा नम्बर 548/2 ग्राम भैरूसागर में स्व अभियान के दौरान रेकर्ड दुरूस्ती नामान्तरकरण 149 दिनांक 1.8.17 के अनुसार मणसिंह उर्फ लखसिंह के स्थान पर धनपतसिंह का नाम दुरूस्त कर दिया गया है। की जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न है। अतः उक्त प्रार्थी के खातेदेारी भूमि ग्राम भैरूसागर खसरा नम्बर 553/2 व हरीपुरा के खसरा नम्बर 216 रकबा 251.10 बीघा में लक्ष्मणसिंह लखसिंह पि. भोपालसिंह का नाम दर्ज है, इनके स्थान पर उक्त प्रार्थी अपने तमाम ावेज संलग्न के अनुसार वास्तविक नाम धनपतसिंह पुत्र भोपालसिंह राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती ाना चाहता है।

मैंने उभय पक्षकारान की बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन ा गया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 5 उचित आधारों पर आधारित पाया जाता है तथा अप्रार्थी तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट सार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित है, जो स्वीकार किया जाना संगत है तथा तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया गया है, प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत पूर्णतया ठोस आधार प्रकट होने से का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, ओसियां को आदेषित किया ा है कि प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार मौजा भैरूसागर के खसरा नम्बर 553/2 रकबा 6. 6 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 216 रकबा 251.10 बीघा मौजा हरिपुरा तहसील ओसियां में का नाम लक्ष्मणसिंह उर्फ लखसिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज कर रखा है, जो गलत है उसके पर प्रार्थी का वास्तविक नाम धनपतसिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दियां जाता है, तद्नुसार प्रार्थी का नाम लक्ष्मणसिंह उर्फ सिंह पि. भोपालसिंह के स्थान पर धनपतसिंह पुत्र भोपालसिंह के नाम से उक्त दोनों रों में शुद्धिकरण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में [illegible] कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]लाल रेगर)
[illegible]ण्ड अधिकारी, ओसियां

न्यायालय सहायक कलेक्टर ... जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner